कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 4139 /12–1 देहरादून, दिनांक 23 जून, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–7 के भानियावाला (देहरादून) ये ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.00 से किमी0 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 19.8345 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2247/12-1(1), दिनांक–27.03.2023, महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक का पत्रांक–NHAI/PIU/VV/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2022/4594 दिनांक 12.05.2023 (संलग्नक–01) एवं NHAI/PIU/VV/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2022/4718 दिनांक 01.06.2023 (संलग्नक–02)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा वांछित आख्या का विवरण	भा0रा0रा0प्रा0 की बिन्दुवार आख्या
उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी राजाजी टाईगर रिजर्व से 0.497 किमी0 है, जो कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं0–202 (1995) टी0एन0गोडावर्मन बनाम भारत सरकार तथा आई0ए0नं0 1000 (2003) में दिनांक 03.06.2022 को पारित निर्णय के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–1258/पी0ओ0 दिनांक 04.06.2022 के अनुसार ईको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) के अन्तर्गत आता है। वन एवं पर्यावरण अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–1777/1(2) Va. Gra. Vi/2022-19(9)/2022 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार भी उक्त क्षेत्र "Shivalik Elephant Reserve" का भाग है। प्रस्तावित क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन एवं शिवालिक एलीफेण्ट रिजर्व क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण निर्माण कार्य से पूर्व राज्य वन्यजीव परिषद एवं राष्ट्रीय वन्यजीव परिषद की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑन लाईन भाग–1 की बिन्दु सं0–1 (i) में उक्त प्रस्ताव ईको सेसिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं है, अंकित किया गया है।	चूंकि राजाजी नेशनल पार्क का ईको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) अभी तक Notify नही हुआ है इसलिए ईको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) का दायरा 10 कि0मी0 का होता है। विषयगत परियोजना राजाजी टाईगर रिजर्व की सीमा से अब 1.317 कि0मी0 की दूरी पर है। यह भी कथन सही है कि उक्त क्षेत्र "Shivalik Elephant Reserve" का भाग है। अतः इस संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून से टिप्पणी ली गयी, जिसके क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक–1079/12–1 दिनांक 25.09.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि "विषयगत परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नही है एवं परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नही है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पत्रांक 6–60/2020 WL दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है" इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 के अनुसार यदि परियोजना की कुल चौडाई (आर0ओ0डब्लू0) 40 मी0 से कम एवं लंबाई 100 कि0मी0 से कम है, तो पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नही है और यदि पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नही है, तो वन्यजीव अनुमति लेने की आवश्यकता भी नही है उक्त विषयगत परियोजना का आर0ओ0डब्लू0 वन क्षेत्र मे 23 मी0 एवं नगरीय क्षेत्र में 36 मी0 है तथा परियोजना की कुल लंबाई 19.780 कि0मी0 जिसके फलस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु

ऑनलाईन भाग–2 में बिन्दु सं0–8 (IV) परियोजना निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है एवं बिन्दु सं0–8 (V) में सम्बन्धित एवं विशेष प्रजाति की जीवजंतुओं एव वनस्पति नहीं होना अंकित किया गया है।	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विषयगत परियोजना हेतु पर्यावरण एवं वन्यजीव अनुमति लेने की आवश्यकता नही है।'' यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि हाथी गलियारे (Elephant Corridor) के संबंध में दिनांक 10.06.2022 को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, वन विभाग के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) को निर्देशित किया गया था कि हाथी अंडरपास के संबंध में वन्यजीवों पर एक अध्ययन करें और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बाद, बैठक के संदर्भ में 07.07.2022 को एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, वन विभाग के अन्य अधिकारी, डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 टीम, भा0रा0रा0प्रा0 के अधिकारी एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी आदि ने भाग लिया। तत्पश्चात मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की पत्र सं0 68/12–1 दिनांक 07.07.2022 द्वारा डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 की रिपोर्ट की प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित की गयी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में हाथी अंडर पास और अन्य मिटिगेशन उपायों के संबंध में डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 के सुझावों का अनुपालन शामिल कर दिया गया है तथा रिपोर्ट की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या–FC–11/43/2021–FC, दिनांक 16.03.2023 के अनुरूप लीनियर प्रोजेक्ट होने के फलस्वरूप तथा वृक्षों का पातन प्रस्तावित होने की वजह से "Wildlife Management Plan हेतु 02 प्रतिशत तथा Soil & Moisture Conservation Plan" हेतु 0.5 प्रतिशत प्रोजेक्ट की Actual Cost की धनराशि भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा निधि में जमा की जानी अपेक्षित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः–4139 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मकान सं0–171, फेज–1, वसन्त विहार, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश संख्या–FC–11/43/2021–FC दिनांक 16.03.2023 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून